

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ओलम्पियन पब्लिक स्कूल,
डिबाई रोड मुमरेजपुर ब्लॉक दानपुर
जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक:प्रबन्ध/मान्यता/ 119-81

/2018-19

दिनांक- 10-4-18

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

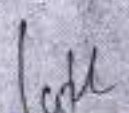
आपके तारीख 07.07.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं ओलम्पियन पब्लिक स्कूल, डिबाई रोड मुमरेजपुर ब्लॉक दानपुर जनपद बुलन्दशहर को तारीख 01.04.2018 से तारीख 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 05.04.2018 के प्रस्ताव संख्या _____ में व्यक्त सहमति के आधार पर अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति: नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पूरित किया जाएगा। ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या पालक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समुचित न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
ख- किसी भी बालक को शारीरिक दमक या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
ग- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
च- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निराक्षरता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
छ- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
ज- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
झ- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


Principal
Olympian Public School
Mumrejpur, Dibal, Bulandshahr
Uttar Pradesh 203001

5


Manager

Olympian Public School
Mumrejpur, Dibal, Bulandshahr
Uttar Pradesh

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-	6320 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्र	-	1548.16 वर्ग मी०
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	-	5502.48 वर्ग मी०
कक्षाओं की संख्या	-	23
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष	-	4
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	-	उपलब्ध है।
बाधा रहित पहुंच	-	उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई इंगैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाल के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आर्कटेड मान्यता कोड संख्या-अंग्रेजी अरबाई नर्सरी व जूनियर -2 है। कृपया इसे नोट करें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
- विद्यालय में शिक्षक/शिष्योत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
- मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(अजीत कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर

पृ०सं०:प्रबन्ध/मान्यता/

/2018-19

तददिनांक-

प्रतिलिपि:-

- सहायक शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र दरभंगा।
- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।


Principal

Olympian Public School
Mumrejpur, Dibal, Bulandshahr
Uttar Pradesh 203001


Manager

Olympian Public School
Mumrejpur, Dibal, Bulandshahr
Uttar Pradesh 203001